न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री महावीरसिंह, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 149/2013

वादी :– बनाम प्रतिवादीगण :–

1. दुर्गाराम पुत्र भीकाराम
जाति–खेतीगड़ कुमार,नि0–निमाज
तहसील–जैतारण (जिला–पाली)

1. पप्पुदेवी पत्नि नौरतमल
2. पारसमल पुत्र भीका
जातियान–कुमावत,निवासी–निमाज
तह0–जैतारण (जिला–पाली)
3. तहसीलदार, जैतारण
तह0–जैतारण (जिला–पाली)

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजूः.27/05/2013

उपस्थितः. 1. श्री करणीदान चारण, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री शंकरलाल कुमावत, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::– दिनांकः– 28/02/2017

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा–समौखी, पटवार हल्का–मोहराई, तहसील–जैतारण में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की शामलाती कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 82 रकबा 2–10 बीघा, खसरा नम्बर 89 रकबा 2–01 बीघा, खसरा नम्बर 92 रकबा 3–02 बीघा, खसरा नम्बर 94 रकबा 1–00 बीघा, खसरा नम्बर 103 रकबा 1–15 बीघा, खसरा नम्बर 107 रकबा 2–17 बीघा, खसरा नम्बर 119 रकबा 4–02 बीघा, कुल किता–7 कुल रकबा 17–07 बीघा की आई हुई हैं। उपरोक्त शामलाती कब्जे काश्त की भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 का 1/2 हिस्सा हैं व प्रतिवादी संख्या 1 का भी 1/2 हिस्सा हैं। जमाबन्दी संवत् 2068 से 2071 की प्रमाणित प्रतिलिपि व नक्शा की प्रमाणित प्रतिलिपि दावा के साथ पेश की हैं, जो दावा का भाग माना जावें। माफिक हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 काबिज हैं। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के शामलाती खातेदारी व कब्जा काश्त भूमि बेरा भादवा नाम से जानी जाती हैं। यहां पर वादी मय परिवार के निवास करता हैं। खसरा नम्बर 92 में स्थित रास्ता जो लगभग 15 फूट चौडा हैं तथा रास्ता के एक तरफ खन्दक लगाई हुई हैं तथा वृक्ष खडे हैं। यह रास्ता की भूमि वादी के हिस्से में आई हुई हैं। भूमि खसरा नम्बर 92 में से होकर हैं, जिनका उपयोग व उपभोग बतौर अधिकार के बेरे पर आने–जाने के रूप में खुला रूप से वादी काम में ले रहा हैं। खसरा नम्बर 92 में से होकर कुए पर आने जाने का रास्ता हैं। जयपुर से जोधपुर जाने वाली सड़क से बेरा भादवा में खसरा नम्बर 92 में से होकर आने जाने का रास्ता हैं, प्रतिवादी संख्या 1 को रास्ता की भूमि में रूकावट करने का कोई अधिकार नहीं हैं। खसरा नम्बर 92 में स्थित रास्ता में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिनांक 20/05/2013 को

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

रात्रि के समय जे.सी.बी. व अन्य साधनों से नीवें खोदकर रूकावट की हैं तथा वादी द्वारा मना करने पर ऐलानिया धमकी देकर कहा कि वह यहा मकान का निर्माण करायेगी। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा मौके पर निर्माण करने हेतु पत्थर आदि डलवा दिये हैं। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा रास्ते में निर्माण करने का कोई विधिक अधिकार नहीं हैं। रास्ते की भूमि में निर्माण कर देने से वादी अपने खेत में आने जाने में रूकावट हो जायेगी तथा खेती के कार्य आदि में रोक टोक हो जायेगी। जब तक शामलाती कब्जे काश्त की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा नहीं हो जाता तब तक कृषि भूमि में जो रास्ता आपस में मनागना मौके पर खसरा नम्बर 92 में कायम किया हुआ हैं तथा मौके पर रास्ते के अलामात मौजूद हैं। उसमें मकान बनाकर रोक-टोक करने का कोई विधिक अधिकार नहीं हैं। मौके पर नीवं खोदी हुई हैं तथा नीवें भरकर निर्माण करने के फोटो खिंचे गये हैं,जो दावा के साथ पेश किया हैं। प्रतिवादी संख्या 3 बंटवाड़ा के वाद में भूमिधारी होने से आवश्यक पक्षकार हैं। इसलिए पक्षकार बनाये गये हैं। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के मध्य शामलाती कब्जे काश्त की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा नहीं हुआ हैं, न ही लगान का बंटवाड़ा हुआ हैं तथा इस हेतु दिनांक 20/05/2013 को कहा गया तो ईन्कार हो गया। ऐसी स्थिति में यह वाद बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया हैं। प्रतिवादी संख्या 1 को कृषि भूमि में मकान आदि बनाने तथा मौके पर खसरा नम्बर 92 में जो रास्ता 15 फुट चौडाई का कायम हैं। उसमें निर्माण करने का कोई अधिकार नहीं हैं। ऐसे निर्माण को स्थाई रूप से रूकवाया जाना आवश्यक हैं। शामलाती कब्जे काश्त की भूमि में अपने खेतों में आने-जाने हेतु जो रास्ता खसरा नम्बर 92 में कायम किया हैं। वह खेती कार्य के लिए आवश्यक हैं। खसरा नम्बर 92 में अवैध रूप से किये जा रहे निर्माण नीव खोदने, नींव भरने व समस्त कार्य को रूकवाया जाना आवश्यक हैं। बिनायवाद दिनांक 20/05/2013 को ग्राम-समौखी में प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 द्वारा बंटवाड़ा का मना करने पर तथा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा खसरा नम्बर 92 में स्थित रास्ता की भूमि में अवैध रूप से नींवे खोदकर निर्माण से तथा कृषि भूमि में काश्त में रोक-टोक करने से बमुकाम-समौखी में उत्पन्न हुआ हैं। जो श्रीमान् के क्षैत्राधिकार में हैं। इस प्रकार वकील मय वादी ने माफिक दावा वादी का वाद डिक्री किया जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से जबाबदावा एवं काउन्टर क्लेम पेश किया, जिसकी प्रतिलिपि वकील वादी को दिलाई गई, सामिल मिसल हो। वकील प्रतिवादीगण ने जबाबदावा में दर्शाया कि अलग-अलग बंट किये हैं तथा खसरा नम्बर 92 के बीच में प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शानुसार A से B ...डोट-डोट दर्शाये अनुसार वादी द्वारा भी वाद-पत्र में अंकित आम रास्ता 15 फीट कायम किया जाता हैं, तो प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं होना अंकित किया हैं। इस प्रकार वकील मय प्रतिवादीगण ने जबाबदावा व काउन्टर क्लेम पेश कर वादी की भूमि के साथ प्रतिवादीगण की भूमि का भी बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं व स्वीकारोक्ति दी हैं।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने माफिक राजस्व रिकॉर्ड एवं वाद-पत्र वादी का वाद डिक्री किये जाने की ईश्तदुआ की गई,

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

जिसके जबाब बहस में वकील प्रतिवादीगण ने ईकबालिया जबाबदावा व काउन्टर क्लेम माफिक वाद डिक्री किये जाने की ईशतदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र मय शपथ-पत्र मय दस्तावेजात, ईकबालिया जबाबदावा एवं काउन्टर क्लेम्स मय नजरी नक्शा वकील मय प्रतिवादीगण का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया तथा बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः उक्त विवादित आराजी का माफिक राजस्व रेकर्ड एवं वकील प्रतिवादीगण द्वारा नजरी नक्शा वादी का वाद प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाना तथा उभय पक्ष स्वयं खातेदार काश्तकार दर्ज होने से मौके पर पक्षकारानों में बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि सरहद मौजा-समौखी, पटवार हल्का-मोहराई, तहसील-जैतारण में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की शामलाती कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 82 रकबा 2-10 बीघा, खसरा नम्बर 89 रकबा 2-01 बीघा, खसरा नम्बर 92 रकबा 3-02 बीघा, खसरा नम्बर 94 रकबा 1-00 बीघा, खसरा नम्बर 103 रकबा 1-15 बीघा, खसरा नम्बर 107 रकबा 2-17 बीघा, खसरा नम्बर 119 रकबा 4-02 बीघा, कुल किता-7 कुल रकबा 17-07 बीघा भूमि का जो राजस्व रेकर्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती व कब्जे काश्त की हैं, बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाँउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग-अलग दर्शाकर पत्थरगढ़ी /नेखमबन्दी करवाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2014/332 दिनांक 15/04/2014 एवं 1161 दिनांक 02/12/2014 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईशतदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकील वादी एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-समौखी, पटवार हल्का-मोहराई, तहसील-जैतारण में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की शामलाती कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 82 रकबा 2-10 बीघा, खसरा नम्बर 89 रकबा 2-01 बीघा, खसरा नम्बर 92 रकबा 3-02 बीघा, खसरा नम्बर 94 रकबा 1-00 बीघा, खसरा नम्बर 103 रकबा 1-15 बीघा, खसरा नम्बर 107 रकबा 2-17 बीघा, खसरा नम्बर 119 रकबा 4-02 बीघा, कुल किता-7 कुल रकबा 17-07 बीघा की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	पप्पुदेवी पत्नि नौरतमल कुमावत सा० देह खातेदार।	82	1-05-00	चा०दो०	4.37 रू.
		89/1	1-01-00	चा०दो०	3.68 रू.
		92/1	1-10-00	चा०दो०	5.25 रू.
		94	0-10-00	चा०दो०	1.72 रू.
		103/2	0-17-00	चा०चा०	1.53 रू.
		107	2-17-00	चा०चा०	5.13 रू.
		119	0-13-00	चा०चा०	1.17 रू.
	योग	**7**	**8-13-00**		**22.88 रू.**
2	दुर्गाराम पारसमल पि० भीकाराम कौम–कुम्हार सा० देह खातेदार।	82/1	1-05-00	चा०दो०	4.38 रू.
		89	1-00-00	चा०दो०	3.50 रू.
		92	1-10-00	चा०दो०	5.25 रू.
		94/1	0-10-00	चा०दो०	1.75 रू.
		103	0-18-00	चा०चा०	1.62 रू.
		119/1	3-09-00	चा०चा०	6.21 रू.
	योग	**6**	**8-12-00**		
3	पप्पुदेवी पत्नि नौरतमल कुमावत सा० निमाज, दुर्गाराम पारसमल पि० भीकाराम कौम–कुम्हार सा० देह खातेदार।	92/1	0-02-00	चा०दो०	0.35 रू.

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय बंटवाड़ा रिपोर्ट की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज०)

निर्णय आज दिनाँक 28.02.2017 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज०)